भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 99

(जिसका उत्तर मंगलवार, 5 मई, 2015 को दिया गया)

व्यापारिक गुटबंदी के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जांच

***99. श्री प्रमोद तिवारी :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने औषधि, सीमेंट, दूरसंचार, पेट्रोलियम आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक गुटबंदी के संबंध में कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

व्यापारिक गुटबंदी के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जांच के बारे में दिनांक 05.05.2015 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 99 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण

(क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने औषध, सीमेंट और पेट्रोलियम क्षेत्रों में व्यापारिक गुटबंदी के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं परंतु दूरसंचार क्षेत्र में ऐसी किसी जांच का अब तक कोई आदेश नहीं दिया गया है।

(ख) क्षेत्र-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(i) औषध क्षेत्र : आयोग ने औषध क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मामलों में जांच की है तथा आर्थिक दंड लगाया है -

(क)	केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, गोवा	-	2.00 लाख रुपए
(ख)	ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट	-	47.41 लाख रुपए
(ग)	असम ड्रग डीलर्स एसोसिएशन एंड अदर्स	-	5.61 लाख रुपए
(घ)	बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (बीसीडीए)	-	एसोसिएशन और कार्यालय के कामकाज के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी और निर्णय लेने में मुख्य भूमिका निभाने वाले पदधारकों पर उनके द्वारा दायर वित्तीय विवरण के आधार पर उनके कारोबार/आय/प्राप्तियों पर 10% की दर से और कार्यकारी समिति के सदस्यों पर 7% की दर से आर्थिक दंड लगाया गया है।
(ड.)	केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, फिरोजपुर	-	एसोसिएशन के पदधारकों पर उनके औसत कारोबार के 10% की दर से आर्थिक दंड लगाया गया हैं।

(ii) सीमेंट क्षेत्र : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सीमेंट निर्माण कंपनियों के विरूद्ध दो मामलों अर्थात् आयोग में धारा 19 के अंतर्गत दायर मामला संख्या 29/2010 और मामला संख्या आरटीपीई 52/2006 की जांच की है। आयोग ने मामला संख्या 29/2010 में विभिन्न सीमेंट निर्माण कंपनियों अर्थात् एसीसी, अम्बुजा सीमेंट, बिनानी सीमेंट, सेंच्युरी टेक्सटाइल्स, इंडिया सीमेंट, जे.के. सीमेंट, लाफार्ज इंडिया, मद्रास सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जयप्रकाश एसोसिएट्स के साथ-साथ सीमेंट निर्माता एसोसिएशन पर 6,317.32 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। आयोग ने मामला संख्या आरटीपीई 52/2006 में श्री सीमेंट लिमिटेड पर 397.51 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड लगाया है।

(iii) पेट्रोलियम क्षेत्र : आयोग ने तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल का मूल्य निर्धारित करने का मामला जांच के लिए महानिदेशक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को भेजा है। तथापि, इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है।

आयोग द्वारा दिए गए सभी अंतिम आदेश उनकी वेबसाइट www.cci.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

*****